भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 523

(जिसका उत्तर मंगलवार, 7 फरवरी, 2023 को दिया गया)

देश में शेल कंपनियां

523. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर बिहार के साथ अन्य राज्यों में शेल कंपनी के रूप में चिह्नित कंपनियों की कुल संख्या कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त कंपनियों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रगति की निगरानी के लिए कोई समिति गठित की गई है;
(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी कंपनियों और उनके संस्थापकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है, और
(घ) इस तरह की अन्य कंपनियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): "शैल कंपनियां" शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 (संशोधित नियम, 2019) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के अनुसार, कुछ कंपनियों के नाम कतिपय उल्लंघनों जैसे कि निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय शुरू करने में विफल रहना, दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं करना और ऐसी अवधि के भीतर निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं करना, भौतिक सत्यापन में उल्लेखानुसार कोई व्यवसाय या संचालन नहीं करना आदि के लिए हटा दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कुल 1,27,952 नाम (बिहार राज्य से 3,872 कंपनियां) रजिस्टर से हटा दिए गए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
कुल कंपनियां जिनका नाम हटा दिया गया (विवरण अनुलग्नक -1 में)	60,770	12,009	55,173	1,27,952
बिहार में हटाई गई कंपनियां	1,952	185	1,735	3,872

उपरोक्त संख्या में कंपनियों का नाम संबंधित रजिस्ट्रारों द्वारा हटा दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

जारी...2/-

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के अधीन शुरू की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के उपबंधों के अनुसार पूर्व तीन अभियानों में तीन वित्तीय वर्षों की निरंतर अवधि के लिए वार्षिक रिटर्न या तुलन-पत्र फाइल करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अभियान की संख्या	अयोग्य घोषित किए गए निदेशकों की संख्या
अभियान-I	3,09,614
अभियान-II	1,14,835
अभियान-III	25,948

(घ): एमसीए ने ई-प्ररूप डीआईआर-3 में निदेशकों को केवाईसी फाइल करने का कार्य लागू किया है जिसमें प्रत्येक निदेशक का समस्त केवाईसी ब्यौरा/डाटा शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के लिए प्ररूप आईएनसी-22 अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, एमसीए के साथ पंजीकृत कंपनियों की स्थिति को सत्यापित करने के लिए, समय समय पर कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय के भौतिक सत्यापन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है।

******

अनुलग्नक - I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान सभी राज्यों में स्ट्रक ऑफ की गई कंपनियों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	अंडमान और निकोबार	14	2	2	18
2	आंध्र प्रदेश	954		1292	2246
3	अरुणाचल प्रदेश	36	3	29	68
4	असम	489	62	328	879
5	बिहार	1952	185	1735	3872
6	चंडीगढ़	331	170	396	897
7	छत्तीसगढ़	300	31	285	616
8	दादरा और नगर हवेली	8	1	14	23
9	दमन और दीव	7	2	4	13
10	दिल्ली	9357	1986	3995	15338
11	गोवा	223	26	196	445
12	गुजरात	2181	256	3070	5507
13	हरियाणा	2027	409	792	3228
14	हिमाचल प्रदेश	175	172	229	576
15	जम्मू और कश्मीर	137		312	449
16	झारखंड	400	139	949	1488
17	कर्नाटक	4646	991	5583	11220
18	केरल	5321	777	1785	7883
19	लेह और लद्दाख			5	5
20	लक्षद्वीप	3	1	452	456
21	मध्य प्रदेश	947	111	9898	10956
22	महाराष्ट्र	7670	2298	52	10020
23	मणिपुर	47	4	18	69
24	मेघालय	52	9	9	70
25	मिजोरम	8		20	28
26	नागालैंड	43	2	925	970
27	उड़ीसा	654	58	73	785
28	पांडिचेरी	117	32	775	924
29	पंजाब	560	330	1376	2266
30	राजस्थान	3791	148	1	3940
31	तमिलनाडु	3114	1321	5539	9974
32	तेलंगाना	2683	722	4743	8148
33	त्रिपुरा	44	2	27	73
34	उत्तर प्रदेश	5802	1754	919	8475
35	उत्तराखंड	76		232	308
36	पश्चिम बंगाल	6601	5	9113	15719
	कुल योग	**60770**	**12009**	**55173**	**127952**

*****